प्रेस नोट
दिनांक 08.08.2025

रक्षा बंधन पर्व के अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर की छात्राओं व ब्रह्मकुमारी आश्रम गोण्डा की बहनों ने पुलिस अधिकारियों को बांधी राखी, जताया आभार और विश्वास, पुलिस बल को समर्पित किया स्नेह–

गोण्डा। रक्षा बंधन पर्व की गरिमा और भारतीय संस्कृति की परंपराओं को निभाते हुए, सरस्वती विद्या मंदिर एवं सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, मालवी नगर, गोण्डा की छात्राओं व ब्रह्मकुमारी आश्रम गोण्डा की बहनों द्वारा एक भावनात्मक एवं अनुकरणीय पहल करते हुए पुलिस कार्यालय/कैम्प कार्यालय गोण्डा पहुंचकर उच्चाधिकारीगण को राखी बाँधी गई। इस विशेष अवसर पर बालिकाओं/आश्रम की बहनों ने पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री मनोज कुमार रावत एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय की कलाई पर राखी बाँधकर उन्हें भाई का स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक प्रदान किया। बालिकाओं/बहनों ने तिलक लगाकर एवं आरती उतारते हुए पारंपरिक रीति–रिवाजों के अनुसार रक्षा सूत्र बाँधा और उनके दीर्घायु, कुशल स्वास्थ्य एवं कर्तव्यों के सफल निर्वहन की कामना की। कार्यक्रम में विद्यालय की आचार्या श्रीमती अनुराधा शुक्ला, श्रीमती पूनम शर्मा, श्रीमती प्रियंका सिंह एवं श्रीमती शशि पांडेय सहित ब्रह्मकुमारी आश्रम की हेड बहन कुमारी चांदनी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस बल के प्रति आभार प्रकट करना तथा बच्चों में सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान एवं आत्मीयता की भावना का विकास करना रहा। पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल ने बालिकाओं/बहनों द्वारा प्रदर्शित इस स्नेह और सम्मान को अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि **''रक्षाबंधन जैसे पर्वों पर समाज के विभिन्न वर्गों से इस प्रकार का स्नेह मिलना पुलिस बल के मनोबल को और ऊँचा करता है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज की रक्षा एवं सेवा के प्रति सदैव समर्पित रहें।''** अपर पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार रावत ने भी बालिकाओं को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं और विद्यालय परिवार का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस आयोजन ने समाज में ''रक्षक और संरक्षक'' के बीच आत्मीय संबंधों की भावना को और भी प्रगाढ़ किया है, जिससे न केवल बच्चों में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होता है बल्कि पुलिस विभाग को भी समाज के साथ गहरे संवाद स्थापित करने का अवसर प्राप्त होता है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 08.08.2025</u>

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से बलवा, मारपीट व जानलेवा करने के 12 आरोपी अभियुक्तों को हुई सजा–

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 27.09.2014 को थाना को0 देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चिस्तीपुर गोण्डा फैजाबाद मार्ग में दो पक्षों के मध्य जमीन में कब्जेदारी के विवाद को लेकर बलवा करते हुए मार पीट व जानलेवा हमला करने की घटना घटित हुई थी। जिसमें दोनो पक्षों के लोग घायल हो गए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दोनो पक्षों के मध्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्रथम पक्ष के 07 व द्वितीय पक्ष के 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेला भेजा गया था।

<u>दोषसिद्धि का विवरण–</u>

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना को0 देहात में पंजीकृत अभियोगों मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 शिवपाल सिंह व थाना को0 देहात के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक– 08.08.2025 को प्रथम पक्ष के 07 आरोपी अभियुकतों को 07 वर्ष का कारावास व 64,250/– रू0 का अर्थदण्ड व द्वितीय पक्ष के 05 अभियुक्तों को 02 वर्ष का कारावास व 11,000/– रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

<u>अभियुक्तगण का नाम पता–</u>

<u>प्रथम पक्ष –</u>

01. साकिर अली पुत्र इंसान अली नि0 चिस्तीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. आरिफ पुत्र नसीम नि0 चिस्तीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. फिरोज खां पुत्र मोहसीन नि0 चिस्तीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
04. मोबीन पुत्र सलीम नि0 चिस्तीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
05. तसलीम पुत्र सलीम नि0 चिस्तीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
06. कयूब पुत्र मो0 नईम नि0 चिस्तीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
07. मारूफ पुत्र सलीम नि0 चिस्तीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

<u>द्वितीय पक्ष–</u>

01. अरशद हुसैन पुत्र गुलाम रसूल नि0 चिस्तीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. अफसार हुसैन पुत्र गुलाम रसूल नि0 चिस्तीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. सोनू (सरफराज) पुत्र राम किशुन नि0 चिस्तीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
04. मासूम अली पुत्र छेदी नि0 सराय जरगर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
05. गुलाम हैदर पुत्र स्व0 नसीर नि0 दौलतपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

<u>अभियोग का विवरण–</u>

01. मु0अ0सं0–358/2014, धारा 147,148,149,307,308,336,427,325,504,506 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–358ए/2014, धारा 147,149,323 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।